

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी - श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं० 523 प्रार्थना-पत्र/2019
{मि०नं० 937/दावा/2017}
(पूर्व मि०नं० 607/14 दायरा 01/05/2014)

उनवान

1. नन्दकिशोर पुत्र देवीलाल जाति धोवी निवासी खण्डी तह० खानपुर
2. लालचंद पुत्र देवीलाल जाति धोवी निवासी खण्डी तह० खानपुर
3. मोहनलाल पुत्र देवीलाल जाति धोवी निवासी खण्डी तह० खानपुर
- वादी/अप्रार्थी

बनाम्

1. तेजकुमार पुत्र गणपतलाल जाति ब्राम्हण निवासी कोटा
2. अजय शर्मा पुत्र विष्णुदत्त शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी रेतवाली टिप्टा कोटा
3. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी खण्डी तह० खानपुर
4. शाखा प्रबन्धक महोदय एस०वी०वी०जे० शाखा खानपुर
5. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील खानपुर
- प्रार्थी/प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955 एवं
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा०दी०


उपस्थित:- श्री गिरधारीलाल नागर एडवोकेट - प्रार्थी/प्रतिवादी नं० 3
श्री हंसराज मीना एडवोकेट - अप्रार्थी/वादी

निर्णय

दिनांक 23/10/2019

प्रार्थना-पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। प्रार्थी/प्रतिवादी नं० 3 ओमप्रकाश ने दिनांक 22.02.2018 को जयें अधिवक्ता एक प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एक अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। ऐसे दस्तावेज को आधार बनाकर माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और न ही ऐसे दस्तावेज से किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। वादीगण इस अपंजीकृत दस्तावेज से माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का किसी प्रकार को कोई अधिकार नहीं रखते हैं। ऐसा वाद कानून के विरुद्ध होने से खारिज होने योग्य है। प्रस्तुत वाद में दस्तावेज दिनांक 22.06.1967 विक्रय की संविदा से संबंधित है। वादी को वाद संविदा की विनिर्दिष्ट पालना हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये। वादी द्वारा वाद को क्षेत्राधिकार से परे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

[1]


उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

ऐसा वाद सुनने का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना-पत्र की नकल अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी को दिलायी गयी, जिन्होंने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है कि वादीगण ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया है। ऐसे वाद का निर्णय वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य आने के बाद ही संभव है। क्योंकि वादीगण का इस आराजी पर बाप दादाओं के समय से कब्जा काश्त 1966 से पूर्व से ही चला आ रहा है। इस आराजी का बैचान प्रति0नं0 1 तेजकरण के पिता गणपतलाल ने वादीगण के पिता देवलाल को किया था। गणपतलाल को यह आराजी सरकार द्वारा आवंटित की गयी थी, लेकिन कब्जा वादीगण के पिता देवलाल का ही था। इसलिये गणपतलाल ने एक तहरीर देवलाल के नाम बैचान बाबत लिखी थी कि समय मिलने पर वादीगण के पिता देवलाल के नाम रजिस्ट्री करवा दूंगा। इस दौरान गणपतलाल फौत हो गये और यह आराजी तेजकरण व उसकी मां लक्ष्मीदेवी के नाम दर्ज हो गयी। तेजकुमार व उसकी मां ने 1992 में वादीगण के विरुद्ध कब्जा प्राप्त करने के लिये वाद पेश किया था जो अदम हाजरी में खारिज हो गया था। इससे भी यह साबित है कि उक्त आराजी पर कब्जा वादीगण का ही चला आ रहा है। प्रति0नं0 3 ओमप्रकाश ने उक्त आराजी को बाला-बाला ही रजिस्ट्री करवाकर अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि मौके पर प्रति0नं0 3 ने कब्जा प्राप्त नहीं किया और कब्जा बदस्तूर वादी का ही चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में इस वाद का निर्णय तनकीयात कायम कर साक्ष्य उभय पक्ष ली जाकर किया जावे। वकूलाय फरीकेन की सहमति से प्रार्थना-पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 3 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वादी द्वारा यह वाद एक अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज से वादी को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त होते नहीं होते और न ही वादीगण इस अपंजीकृत दस्तावेज से माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। ऐसा वाद कानून के विरुद्ध होने से खारिज होने योग्य है। इनका दस्तावेज दिनांक 22.06.1967 विक्रय की संविदा से संबंधित है और संविदा की विनिर्दिष्ट पालना हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिये। ऐसे वाद को सुनने का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि हमारा वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा है, जिसका निर्णय वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य आने के बाद ही संभव है। क्योंकि वादीगण का इस जमीन पर बाप दादाओं के समय से कब्जा काश्त 1966 से पूर्व से ही चला आ रहा है। इस आराजी का बैचान प्रति0नं0 1 तेजकरण के पिता गणपतलाल ने वादीगण के पिता देवलाल को किया था। यह गणपतलाल को आवंटित हुई थी, किन्तु कब्जा हमारे पिता देवलाल का ही था। इसलिये गणपतलाल ने 612/-रु0 प्राप्त कर बैचान की एक तहरीर देवलाल के नाम लिखी थी तथा रजिस्ट्री


का वादा किया था, किन्तु गणपतलाल फौत हो गये और यह तेजकरण व लक्ष्मीदेवी के लिये वाद पेश किया था जो अदम दातये में खारिज हो गया था। इस प्रयागी पर कब्जा हमारा ही चला आ रहा है किन्तु प्रति-नं 3 आमप्रकाश न उक्त प्रयागी को बाला-बाला ही रजिस्ट्री करवाकर अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि कब्जा वदस्तूर वादी का ही चला आ रहा है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाव तथा इस वाद का निर्णय तनकीयात कायम कर साक्ष्य उभय पक्ष ली जाकर किया जाव।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अप्रार्थीगण/वादीगण ने गनपत पुत्र भवरलाल जाति ब्राम्हण निवासी कोटा के नाम से दिनांक 22.06.67 को लिखी गयी बैचान की एक तहरीर के आधार प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम खण्डी की ख-नं 71 की 3.14 बीघा व ख-नं 71/1308 की 3.18 बीघा कुल 2 कित्ता की 7.12 बीघा पर खातेदारी अधिकारी की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद पेश किया है। ग्राम खण्डी की जमाबंदी स- 2070-73 की खतीनी स- 12 पर ख-नं 71 की 3.12 बीघा आमप्रकाश पुत्र मागीलाल जाति धाकड़ निवासी खण्डी के खाते दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम खण्डी की जमाबंदी स- 2070-73 की खतीनी स- 114 पर ख-नं 71/1308 की 3.18 बीघा तेजकुमार पुत्र गनपतलाल व लक्ष्मीदेवी बेवा गनपतलाल जाति ब्राम्हण निवासी कोटा के खाते दर्ज है। वादी के वाद का मुख्य आधार गनपत पुत्र भवरलाल जाति ब्राम्हण निवासी कोटा के नाम से दिनांक 22.06.67 को लिखी गयी बैचान की तहरीर है जो सादा कामज पर आलेखित है तथा अपजीकृत है। इसमें दिनांक 22.06.67 को ग्राम खण्डी के माल की ख-नं 102 की 8.03 बीघा आराजी की कीमत 612/- देवीलाल से प्राप्त कर कब्जा आराजी देना अंकित है। इस तहरीर में आराजी के पेटे 612/- रु० का लेन-देन किये जाने का तथ्य अंकित है, जबकि कानूनन 100/- रु० से अधिक की सम्पत्ति के क्रय-विक्रय के दस्तावेज का पजीकरण अनिवार्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपजीकृत दस्तावेज कानूनन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है और न ही ऐसे अपजीकृत दस्तावेज से वादीगण के कोई अधिकार सृजित होते हैं। जब वादग्रस्त आराजी के सबंध में अप्रार्थीगण/वादीगण को इस अपजीकृत दस्तावेज से कानूनन कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं तो वादी को दिनांक 01.04.2014 को स्पष्ट रूप से कोई वाद भी कारण उत्पन्न नहीं होता है। यहा पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद सविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का है। विधिनुसार यह सही है कि अपजीकृत दस्तावेज के आधार पर अनुतोष प्रदान करने एवं सविदा की विनिर्दिष्ट पालना कराने सबंधी वादों का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। वाद में वादी ने कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी अनुतोष चाहा है। राजस्थान टीनसी एक्ट में कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने से वादी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदारी कानूनन नहीं दी जा सकती है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षत यह स्पष्ट है कि वादी ने अपने वाद में अपजीकृत तहरीर बैचाननामा दि० 22.06.67 एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ग्राम खण्डी की ख-नं 71 की 3.14 बीघा व ख-नं 71/1308 की 3.18 बीघा कुल 2 कित्ता की 7.12 बीघा आराजी पर खातेदारी अधिकारी की घोषणा चाही है, जहा प्रथमत वादी को वाद कारण उत्पन्न ही नहीं हुआ है। साथ ही विधिनुसार अपजीकृत बैचाननामा

के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर केवल सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। जब प्रथमतः वादी को वाद कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ है, तो वादी का वाद चलने योग्य ही नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी/प्रतिवादी नं० 3 का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य है तथा वादी का वाद चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी नं० 3 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद-पत्र संख्या 937/2017 नंदकिशोर बनाम् तेजकुमार खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 23/10/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

